कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-13.04.2025

विषय:- चालक द्वारा ट्रक कन्टेनर को अपने घर पर खड़ा कर मालिक को वापस न करने व धमकी देने के मामले में वांछित अभियुक्त सुशील कुमार को थाना रोहनिया पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा चोरी/लूट/छिनैती/टप्पेबाजी की घटनाओं के अनावरण तथा वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण में व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया के कुशल नेतृत्व में थाना रोहनिया पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-0089/25 धारा 316(2),351(2) बी0एन0एस0 व बढ़ोत्तरी धारा 317(2) बी0एन0एस0 थाना रोहनिया कमि0 वाराणसी से सम्बन्धित नामजद वांछित अभियुक्त सुशील कुमार पुत्र तुलसीराम निवासी ग्राम सलेमपुर थाना बकेवर जिला इटावा को दिनांक-12.04.2025 को समय करीब 16.50 बजे अभियुक्त के घर ग्राम सलेमपुर थाना बकेवर जिला इटावा से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 01 अदद कंटेनर के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रोहनिया पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक 27.03.2025 को वादी मुकदमा ने ट्रक चालक सुशील कुमार द्वारा वादी की गाड़ी नं0-HR 55 AE 2115 कन्टेनर ट्रक को माल डिलिवरी करने के बाद गैर कानूनी तरीके से अपने घर पर खड़ा कर लेने व वादी द्वारा ट्रक के सम्बन्ध में जानकारी करने पर धमकी देने के सम्बन्ध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर थाना रोहनिया में मु0अ0सं0-0089/2025 धारा 316(2)/351(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 अमित सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त सुशील ने पूछताछ करने पर बताया कि यह ट्रक कंटेनर मेरे मालिक का है जिसका मैं ड्राइवर था। मेरा उनसे पैसों के लेन-देन का विवाद था इसलिए इस ट्रक को मैं अपने घर पर खड़ा कर लिया था और कोई चोरी से इसे ले न जाए इसलिए इसकी बैट्री व आगे के दोनों टायर/पहिए खोलकर घर में रख लिया था। मैंने रुपयों के लिए यह ट्रक खड़ा कर लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सुशील कुमार पुत्र तुलसीराम निवासी ग्राम सलेमपुर थाना बकेवर जिला इटावा, उम्र करीब 45 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

अभियुक्त के घर ग्राम सलेमपुर थाना बकेवर जिला इटावा से, दिनांक-12.04.2025 को समय करीब 16.50 बजे।

बरामदगी का विवरण-

मुकदमा उपरोक्त से संबंधित 01 अदद ट्रक कंटेनर HR 55 AE 2115 बरामद।

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0-0089/25 धारा 316(2),351(2),317(2) बी0एन0एस0 थाना रोहनिया कमि0 वाराणसी

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1- उ0नि0 अमित सिंह थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी।

2- का0 गोविन्द गौड़ थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।